



अंत्योदया-सरल



सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कश्मीरी प्रवासियों को वित्तीय सहायता योजना

पात्रता:

1. कश्मीरी विस्थापित हरियाणा राज्य के किसी भाग में रह रहे हो।
2. कश्मीरी विस्थापित परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय दो लाख रूपए से अधिक नहीं न हो।
3. वित्तीय सहायता की कुल अवधि पांच वर्ष होगी।

अपवाद

सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने हेतू सरकारी अधिसूचना में "पेंशन" का अभिप्राय ऐसी आय की प्राप्ति अथवा अन्य स्रोत से आय व जिसमें योजनाएं शामिल हैं:

- * प्रोविडेंट फण्ड, अथवा
- * किसी भी स्रोत से आय में व्यवसायिक बैंक, वित्तीय संस्थान अथवा बीमा आदि शामिल है।

उपलब्ध लाभ:

1. अधिकतम रू0 5000/- प्रति परिवार के अध्यक्षीन, परिवार के प्रति सदस्य को रू0 1000/- प्रति मास की दर से वित्तीय सहायता।

आवश्यक दस्तावेज:

1. प्रवासित राज्य द्वारा जारी प्रमाण-पत्र। (उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) द्वारा जारी।
2. राशन कार्ड। (खादय एवं पूर्ती विभाग, हरियाणा)
3. मतदाता पहचान-पत्र। (निर्वाचन विभाग हरियाणा द्वारा जारी)

अन्य दस्तावेज

- आधार कार्ड (ऐच्छिक)



अंत्योदया-सरल



- आवेदक के बचत बैंक खाते का विवरण (पास बुक की फोटो प्रति सहित)।
- आवेदक का परिवार पहचान पत्र।

सेवा के लिए फीसें:

सरकारी प्रभार	केन्द्र सेवा प्रभार	अटल सेवा केन्द्र सेवा प्रभार
कोई फीस नहीं	रु0 30/-	रु0 30/-

सेवा का अधिकार समय सीमा: 60 दिन।